



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर  
झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर(छत्तीसगढ़)  
Website: www.dccbajagdalpur.com फोन नः 07782-227960/ 291352  
Email :marketing@jskbjdp.com

क्रमांक/विपणन/टेंडर/ 4518 /2023-24/जगदलपुर, दिनांक 14/03/2024

**// रासायनिक खाद भण्डारण हेतु परिवहन निविदा //**

बैंक कार्यक्षेत्र के जिलों – बस्तर कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा एवं बीजापुर (दंतेवाडा छोडकर) के अंतर्गत शाखा से संबद्ध लैम्पस द्वारा संचालित खाद विक्रय केन्द्रों में दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक अवधि के लिए छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों से रासायनिक खाद भण्डारण के परिवहन हेतु सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।


खाद वितरण केन्द्रों एवं खाद संग्रहण केन्द्रों की जानकारी तथा दूरी, बैंक की शाखा से कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है। निविदा फार्म बैंक के संबंधित शाखा में 1500.00 रुपये ( अक्षरी एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) नगदी पुर्जी के माध्यम से जमा कर, निविदा फार्म शाखाओं से प्राप्त कर – फार्म पूर्ण भर कर बंद लिफाफा में बैंक मुख्यालय, जगदलपुर, में दिनांक 30.03.2024 को अपराह्न 12.00 बजे तक जमा किया जा सकेगा जिसे दिनांक 30.03.2024 को बैंक प्रधान कार्यालय मुख्यालय जगदलपुर में अपराह्न 01:00 बजे खोला जावेगा।

परिवहनकर्ताओं को प्रत्येक निविदा हेतु राशि रु.2,50,000.00 (अक्षरी- दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का एफ.डी.आर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के किसी भी शाखा का जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के पक्ष में देय होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाकार के पास स्वयं के नाम से दो वाहन (ट्रक) होना अनिवार्य है।

**टीप :-**

- 1- शाखा से निविदा फार्म क्रय किये गये प्रमाणक स्वरूप नगदी पुर्जा की रसीद निविदा फार्म के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें। बिना रसीद के फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 2- निविदा की शर्तों का अवलोकन शाखा कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- 3- निविदा फार्म में अधिकृत निविदाकार के निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- 4- संबंधित शाखा से समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर, निविदा फार्म पूर्ण करें।
- 5- निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दरों में किसी भी प्रकार से कांट-छांट नहीं किया जावे एवं निविदा फार्म में कांट-छांट अंकित दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 6- निविदा फार्म में निविदाकार द्वारा दी जाने वाली दरें निविदा प्रपत्र में दिये गए प्रारूप अनुसार होनी चाहिए। सभी दूरियों हेतु दरें पृथक-पृथक दर्शाए गए स्थान पर अंको एवं शब्दों में अंकितकी जावे।
- 7- निविदा (टेन्डर) स्वीकृत/अस्वीकृत/निगोसियेशन करने का पूरा अधिकार बैंक परिवहन कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8- निविदा फार्म में दिये गये दूरियों के विवरण में यदि किसी स्लेब में परिवहन कार्य नहीं है, तो भी उस स्लेब में भी दरों का विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जावे।



  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित  
जगदलपुर



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर  
झंकार टॉकिज के पीछे, केवरामुण्डा वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर(छत्तीसगढ़)  
Website: www.dccbajagdalpur.com फोन न: 07782-227960/ 291352

Email :marketing@jskbjdp.com

क्रमांक/विपणन/टेंडर/ 4519 /2023-24/जगदलपुर, दिनांक 14/03/2024

प्रति,

शाखा प्रबंधक  
समस्त शाखाएं  
जिला बस्तर कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा एवं बीजापुर (दंतेवाडा छोडकर)

विषय :- वर्ष 2024-25 में खाद परिवहन कराने बाबत निविदा के संबंध में ।

-00-

वर्ष 2024-25 हेतु खाद परिवहन कराने बाबत दैनिक समाचार पत्र दृष्टिकरण एवं दैनिक भास्कर में मुख्य कार्यालय, जगदलपुर द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया है । निविदा फार्म शाखा कार्यालय में 1500.00 रुपये ( अक्षरी एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) जमा कर, दिनांक 30-03-2024 समय अपराह्न 12.00 बजे तक बैंक मुख्यालय जगदलपुर में जमा करने हेतु समय निर्धारित किया है । निविदा फार्म 5-5 प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है। फार्म जारी करने के पूर्व शाखा की गोल सील में शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर अनिवार्य है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निविदाकर्ता द्वारा 1500.00 रुपये (अक्षरी एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) नगदी पूर्जा के माध्यम से जमा करने के पश्चात् निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा फार्म उपलब्ध करावें ।

संलग्न :- निविदा फार्म/शर्त एवं अनुबंध 5 प्रतियों में

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित  
जगदलपुर



**// परिवहन निविदा हेतु आवेदन पत्र //**  
**खाद**

**निविदाकार  
की  
नवीनतम  
फोटो**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,  
जगदलपुर।

विषया- वर्ष 2024-25 में अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 रासायनिक खाद के परिवहन हेतु निविदा।  
महोदय,

मैं मेसर्स..... निवासी.....का  
हूँ। मैं खाद काव्यवसायी नहीं हूँ। मेरे पास स्वयं के नाम पर निम्नानुसार वाहन उपलब्ध है :-

वाहन का नाम (1) वाहन नंबर.....ट्रक.....  
(2) वाहन नंबर.....ट्रक.....

उपरोक्त वाहनों से बैंक की शाखा..... से संबद्ध समितियों के खाद केन्द्र तक  
विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से खाद के परिवहन हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बैंक द्वारा जारी शर्तों के अनुसार निर्धारित  
संग्रहण केन्द्र से शाखा की समितियों के खाद केन्द्र तक खाद का परिवहन निम्नानुसार दरों पर करना चाहता हूँ।

क्र	दूरी	परिवहन की दर प्रति टन लोडिंग/अनलोडिंग स्टार्किंग सहित	
		अंको में	शब्दों में
1	01 से 08 किमी		
2	01 से 25 किमी		
3	01 से 40 किमी		
4	01 से 60 किमी		
5	60 किमी से अधिक		

- (1) एफ.डी.आर.कमाँक.....दिनांक.....राशि.....।  
(2) रू. 1500.00 नकदी पुर्जा की क्रमांक .....दिनांक.....(मूल प्रति संलग्न करें)।  
(3) दर्शाए गए वाहन के कागजात की छायाप्रति।  
(4) अन्य विवरण।

स्थान .....।  
दिनांक .....।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.....  
पता.....  
.....  
.....  
मोबाइल नं.....

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर

विषय :- खाद परिवहन हेतु निविदा शर्तें ।

वर्ष 2024-25 ( अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक)

- (1) परिवहनकर्ता के पास कम से कम दो वाहन (ट्रक) स्वयं के नाम पर होना आवश्यक है। प्रत्येक शाखा हेतु पृथक-पृथक नंबर का 02 वाहन होना आवश्यक होंगे वाहन के कागजात की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाये। निविदा फार्म के साथ चाही गई दस्तावेज (आर. सी. बुक, वाहन बीमा की छायाप्रति) संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
- (2) निविदा प्रस्तुत करते समय राशि 2,50,000.00 रुपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) एफ०डी०आर० जो कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के किसी भी शाखा का हो, संलग्न करें। एफ०डी०आर० मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के पक्ष में होगी एफ०डी०आर० की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
- (3) स्वीकृत परिवहनकर्ता को धरोहर राशि के रूप में संबंधित बैंक की शाखा में अनुबंध दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिए एफ०डी०आर० राशि 2.50,000.00 रूपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रूपये जमा करना होगा।
- (4) एफ०डी०आर० जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर की किसी भी शाखा की मान्य होगी। अन्य बैंक का एफ०डी०आर० मान्य नहीं होगी।
- (5) निर्धारित संग्रहण केन्द्र से खाद प्राप्त करने के पश्चात् वितरण केन्द्र तक खाद तत्काल सुरक्षित पहुँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। संग्रहण केन्द्र से खाद सही मात्रा एवं सही बोरा में ही प्राप्त करेंगे (बोरा कटा फटा नहीं होना चाहिए) अन्यथा की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों / धरोहर राशि से की जावेगी।
- (6) प्राकृतिक आपदा जैसे हवा, पानी, बाढ़, तूफान, भूकम्प की स्थिति उत्पन्न होने पर खाद में हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता जिम्मेदार होंगे। इसके लिए जनरल बीमा राशि 2,50,000.00 रूपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) का प्रस्तुत करना होगा। (बीमा खाद का रहेगा)
- (7) परिवहनकर्ता को खाद का समितिवार / केन्द्रवार रिलीज आर्डर बैंक की शाखा से प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात् रिलीज आर्डर की मात्रा अनुसार खाद सही हालत में निर्धारित स्थान में पहुंचाने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
- (8) परिवहन कार्य में शिथिलता अथवा शाखा से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करने का अधिकार बैंक को होगा।
- (9) परिवहनकर्ता को 50.00 रूपए के स्टाम्प पेपर में अग्रीमेंट (अनुबंध) करना होगा। अग्रीमेंट का प्रारूप संलग्न है।
- (10) परिवहनकर्ता द्वारा निविदा बंद लिफाफे में ही बैंक मुख्यालय के विपणन कक्ष में निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर प्रस्तुत किया जावे।



- (11) परिवहन दरों में लोडिंग, अनलोडिंग एवं अन्य समस्त व्यय शामिल होगा ।
- (12) परिवहनकर्ता का वाहन किसी कारण से (कागजात नहीं होने इत्यादि) लोड माल जब्त होने पर तुरंत वापसी कराने की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी । अपूर्ण कागजात के लिए विभाग / समिति जवाबदार नहीं होगा। इसके लिए बैंक एवं समिति का कोई दायित्व नहीं होगा।
- (13) आयकर अधिनियम अनुसार नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती के उपरांत ही परिवहनकर्ता को परिवहन राशि भुगतान किया जावेगा ।
- (14) बैंक को अधिकार होगा कि निविदा अवधि समाप्त होने तथा नई निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष 31-03-2025 के बाद भी समान दरों पर परिवहन कराया जा सकता है। परिवहनकर्ता इसके लिए बाध्य होगा ।
- (15) बैंक को यह अधिकार होगा कि समान दर पर आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन कार्य कराया जा सकता है ।
- (16) परिवहनकर्ता आदेश मिलने पर समयावधि में परिवहन नहीं करता है तो 24 घंटे की सूचना के बाद रिस्ककास्ट के आधार पर किसी भी दर में परिवहन कराया जावेगा तथा अंतर की राशि उनकी धरोहर राशि से वसूल किया जावेगा ।
- (17) रासायनिक खाद का व्यवसाय करने वाले एवं ब्लैक लिस्टेड इस टेंडर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
- (18) समय-समय पर शासन एवं बैंक द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आदेशित शर्तों एवं आदेशों को मान्य करने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा ।
- (19) खाद का भंडारण इश्यू केन्द्र से सीधे समिति / खाद केन्द्र तक उसी दिवस में भंडारण किया जाना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा की स्थिति में परिवहनकर्ता को 10,000.00 रुपये ( अक्षरी दस हजार रूपये मात्र ) तक दंडित किया जा सकता है. जिसके लिए परिवहनकर्ता स्वमेव जिम्मेदार रहेंगे ।
- (20) सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगा एक बार निविदा खोलने के पश्चात निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।
- (21) निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार में निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति, परिवहन की दूरियां आदि समझ ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।
- (22) निविदा फार्म में निविदाकार द्वारा दी जाने वाली दरें निविदा प्रपत्र में दिये गए प्रारूप अनुसार होनी चाहिए। सभी दूरियों हेतु दरें पृथक-पृथक दर्शाए गए स्थान पर अंकों एवं शब्दों में अंकित की जाये
- (23) खाद परिवहन के लिए अनुबंध संबंधित शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के साथ करना होगा ।
- (24) परिवहनकर्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि खाद का उठाव करते समय खाद की बोरियों में निर्माता कंपनी के सीलयुक्त बोरियों अच्छी हालत में है, वजन में निर्धारित मात्रा 50/45 किलो ग्राम की है, का परिवहन कर समिति को प्रदाय किया जायेगा।



(25) टेंडर स्वीकृत / अस्वीकृत निगोसियेशन करने का पूरा अधिकार बैंक को होगा ।

(26) निविदा की प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के कर (TAX) यथा- टीडीएस वस्तु एवं सेवाकर व अन्य कर इत्यादि अतिरिक्त होंगे एवं इन करों को जमा करने का संपूर्ण दायित्व नियमानुसार अधिकृत परिवहनकर्ता एवं बैंक को जो राशि एकत्र करेगा का होगा ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित  
जगदलपुर

**// अनुबंध पत्र //**  
**(50.00 रुपये स्टाम्प पर)**

मैं.....आत्मज.....  
निवासी.....तहसील.....जिला.....  
का रहने वाला हूँ जो कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर की शाखा.....से संबद्ध खाद केन्द्रों में परिवहन कार्य हेतु आज दिनांक.....को निम्नानुसार लिखे शर्तों अनुसार अनुबंध का निष्पादन करता हूँ :-

01. यह कि मेरे पास वाहन (ट्रक) की संख्या 02 है, जिसका नंबर क्रमशः (1).....(2)..... है। जिसका उपयोग में प्राथमिकता के रूप में बैंक के निर्देशानुसार खाद के परिवहन में करूंगा।
02. यह कि बैंक द्वारा परिवहन हेतु स्वीकृति दर एवं अवधि.....से.....तक है, जो मुझे मान्य है।
03. यह कि परिवहन की शर्तों के अनुसार नियमों के अनुरूप मेरे द्वारा धरोहर राशि के रूप में राशि 2,50,000.00 रुपये (अक्षरी दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) आज दिनांक.....को बैंक की शाखा.....में जमा किया गया है।
04. यह कि परिवहन का कार्य बैंक के निर्देशानुसार मेरे द्वारा पूर्ण प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा, यदि किन्हीं कारणों से मेरे द्वारा खाद परिवहन के कार्य में चूक की जाती है या मैं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा, तो बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि ये परिवहन का कार्य अन्य साधनों से करा लेवें और इसमें बैंक का जो भी राशि व्यय होगा वह मेरे द्वारा जमा की गई धरोहर / अमानत राशि में समायोजित कर लेवें।
05. यह कि मेरे द्वारा खाद विपणन संघ के निर्धारित संग्रहण केन्द्र से प्राप्त कर वितरण केन्द्र में 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जावेगा। यदि इसमें किसी प्रकार की चूक हुई तो बैंक को अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ऐसी स्थिति में होने वाला व्यय मुझसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार बैंक का होगा।
06. यह कि प्राकृतिक विपदा जैसे हवा, पानी, बाढ़, तूफान या भूकम्प के कारण यदि - खाद में कोई हानि होती पहुंचती है तो पूर्ण नुकसानी की अदायगी की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने सुरक्षा के बतौर तीन लाख रुपये का बीमा भी करा दिया है, जिसके इंश्योरेंस पॉलेसी की छायाप्रति संलग्न है।
07. यह कि इस अनुबंध पत्र के निष्पादन एवं दिए गए अनुबंध की अवधि में स्वीकृति निविदा को रद्द कर अनुबंध पत्र को अपात्र कभी भी कर सकते हैं, का अधिकार बैंक को होगा।
08. यह कि खाद सामग्री लोड होने के बाद यदि किन्हीं कारणों से खाद जप्त होती है तो माल वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
09. यह कि परिवहन के लिए बैंक / समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश मुझे मान्य रहेंगे।
10. यह कि आयकर एवं अन्य देय कर की कटौती होकर बैंक द्वारा किया गया भुगतान मुझे मान्य होगा।

11. यह कि मेरे द्वारा पूर्ण परिवहन कार्य जो निर्धारित अवधि में किया जाना है, स्वयं किया जावेगा तथा निविदा एवं अनुबंध पत्र के विपरीत कार्य का हस्तांतरण अन्य को नहीं किया जावेगा। यदि मेरे द्वारा निर्धारित शर्तों का अनादर किया जाता है तो उचित निर्णय लेने का अधिकार बैंक को होगा।
12. बैंक को अधिकार होगा कि निविदा अवधि समाप्त होने पर आगामी वर्ष में भी समान दर पर परिवहन कराया जा सकता है। परिवहनकर्ता इसके लिए बाध्य होगा।
13. मेरे द्वारा समय पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में बैंक को यह भी अधिकार होगा कि समान दर पर आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है तथा इसमें होने वाले व्यय की राशि मुझसे वसूल करने का अधिकार बैंक का होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों को स्वेच्छा पूर्वक, स्वस्थचित्त से बगैर किसी दिगर के दबाव या बहकावे में आए मैं तहरीर कर निष्पादित एवं हस्ताक्षरित गवाहों की उपस्थिति में कर दिया हूँ ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आये।

दिनांक :-.....

स्थान :-.....

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर

गवाहान :-

01.....

02.....

अनुबंधकर्ता के हस्ताक्षर